न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/84/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री ओमवीर पुत्र रामावतार निवासी–ग्राम शिमला, पोस्ट–गूंती, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर (राज0)		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि : 04.06.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27.06.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 03.04.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांकः 26.03.2018 को प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना–पत्र पर की गई कार्यवाही बाबत सूचना की वांछा की गई थी।
5. अपीलार्थी द्वारा अधिनियम में वर्णित समयावधि गुजरने पश्चात् भी किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 29.05.18 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/401–02 दिनांकः 04.06.18 एवं पत्रांकः 449–50 दिनांकः 20.06.18 के माध्यम से तलब कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 518–19 दिनांकः 15.06.18 एवं 555 दिनांकः 26.06.18 के माध्यम से जवाब नोटिस हुआ जिसके अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 03.04.2018 पर पत्रांकः आर.टी.आई./2018/554 दिनांकः 26.06.18 के माध्यम से संबंधित विभाग से सूचना/जॉच रिपोर्ट प्राप्त कर विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
8. हमने प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 03.04.18 पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर काफी विलम्ब से पत्रांकः 554 दिनांकः 26.06.18 के

माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना, उद्देश्य एवं प्रावधानों के प्रतिकूल है।

9. लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि आवेदक के प्रथम आवेदन दिनांकः 03.04.2018 के प्राप्ति के समय उनके अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित सूचना उपलब्ध कराते ना कि जॉच कराकर सूचना को पूर्ण रूप देते।

10. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है किन्तु उक्त आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर अविलम्ब विनिश्चय कर सूचित करें।

10. अतः उक्त आलोक में अपील उक्तानुसार आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)